न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–773/2017

1. प्रदीप कुमार पुत्र स्व. श्री दीनदयाल मीणा, जाति मीणा, निवासी– ग्राम चक भैंरू करोल, पटवार हल्का जयपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

2. श्रीमति उर्मिला देवी पत्नी स्व. श्री दीनदयाल मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम चक भैंरू करोल, पटवार हल्का जयपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण–

बनाम

1. सेडूराम मीणा पुत्र श्री रामलाल मीणा, जाति मीणा, निवासी– मकान नम्बर 65, जनकपुरी, श्याम नगर, जयपुर।

2. बाबूलाल मीणा पुत्र स्व. श्री दीनदयाल मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम चक भैंरू करोल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

3. श्रीमति ललिता पुत्र स्व. श्री दीनदयाल पत्नी गंगासहाय मीणा, जाति मीणा, निवासी आर.ए.एस. कॉलोनी के पास, चक भैंरू करोल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

4. आनन्दीलाल पुत्र श्री भीमराज जाति मीणा, निवासी ग्राम चक भैंरू करोल, पटवार हल्का जयपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक सांगानेर जयपुर।

– प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री विशाल जोशी अपीलार्थीगण की ओर से।

2– श्री उमेश पारीक रेस्पोडेंट सख्या 01 की ओर से।

3–श्री सुबोध जैन रेस्पोडेंट सख्या 02 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 19–01–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर अन्तर्गत वाद संख्या 06/2017 बउनवानी सेडूराम बनाम बाबूलाल वगैरा प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 0.35 हैक्टै0, खसरा नम्बर 02 रकबा 0.60 हैक्टै0, खसरा नम्बर 03 रकबा 0.14 हैक्टै0, खसरा नम्बर 04 रकबा 0.13 हैक्टै0, खसरा नम्बर 05 रकबा 0.17 हैक्टै0, खसरा नम्बर 06 रकबा 0.72 हैक्टै0, खसरा नम्बर 07 रकबा 0.18 हैक्टै0, खसरा नम्बर 08 रकबा 0.11 हैक्टै0, खसरा नम्बर 09 रकबा 0.05 हैक्टै0, खसरा नम्बर 10 रकबा 0.03 हैक्टै0, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.21 हैक्टै0, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.05 हैक्टै0, खसरा नम्बर 13 रकबा 0.28 हैक्टै0, खसरा नम्बर 14 रकबा 0.42 हैक्टै0, खसरा नम्बर 15 रकबा 1.30 हैक्टै0, खसरा नम्बर 16 रकबा 0.08 हैक्टै0, खसरा नम्बर 17/1 रकबा 0.35

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

हैक्टै0, खसरा नम्बर 18/1 रकबा 0.24 हैक्टै0, खसरा नम्बर 21/1 रकबा 1.28 हैक्टै0, कुल किता 19 रकबा 06.69 हैक्टै0 ग्राम चक भैंरू करोल, पटवार हल्का जयपुर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें वादी का हिस्सा 708/6690 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त आराजियात का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 मनबट के आधार पर बाहमी बंटवारा करके अपने–अपने हिस्से पर कब्जे का उपयोग–उपभोग करते आ रहे हैं। दिनांक 04.01.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 वादी के कब्जे वाली वादग्रस्त भूमि पर आये और विक्रय बाबत् बातचीत करने लगे और वादी को धमकी दी कि हम बिना विधिवत बंटवारा करवाये ही वादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग का विक्रय कर देंगे और वादग्रस्त भूमि पर आवासीय व्यवसायिक गैर कृषि निर्माण कार्य करेंगें, इस कारण वाद बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय से अनुतोष चाहा कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 18/1, 21/1 कुल किता 19 रकबा 6.69 हैक्टै0 का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा किया जाकर वादी के हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग खाते बनाये जाये तथा वादी के हिस्से व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 21/1 रकबा 1.28 हैक्टै0 में से 708/6690 भूमि की अलग से सीमा निर्धारित की जावे व उसी के अनुसार लगान निर्धारण किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2017 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्टस द्वारा अपील मीमों में कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री स्थापित विधि व रिकॉर्ड के विपरीत जाकर पूर्णतया परवर्स निर्णय व डिक्री पारित किया है जो कि निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को जवाब दावा हेतु अवसर नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत आलोच्य निर्णय पारित किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण का जवाब दावा प्रस्तुत हुआ किन्तु न्यायालय द्वारा विवाद्यकों की विरचना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य भी नहीं ली गई जबकि यदि कोई वाद एकपक्षीय भी हो तो भी वादी को अपने वाद के तथ्य साक्ष्य द्वारा साबित करना होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी तरह की फाईन्डिग निर्णय में नहीं दी गई कि किन आधारों पर वाद को प्रारम्भिक रूप से निर्णित किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं उसके साथ सलंग्न जमाबन्दी से स्पष्ट प्रमाणित है कि उक्त उनवानी वाद में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 15 के खातेदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 है तथा शेष खसरा नम्बरान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 18/1, 21/1 के खातेदारान वादी, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 तथा पांच हैं। प्रतिवादी संख्या 4 खसरा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 18/1, 21/1 की खातेदार नहीं है। ऐसी स्थिति में भूमि क्षेत्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 18/1, 21/1 के संबंध में धारा 53 (5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान के अनुसार विभाजन हेतु वाद केवल वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तथा 5 के मध्य ही पोषनीय हैं भूमि खसरा नम्बर 15 के विभाजन हेतु वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 पक्षकार होगें। ऐसी स्थिति में स्पष्ट प्रमाणित है कि वादी द्वारा भिन्न भूमि क्षेत्र के लिए असमान पक्षकारों के मध्य एक ही वाद प्रस्तुत किया है, जो कि धारा 53 (5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वर्जित है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं उपलब्ध दस्तावेजों के विरूद्ध वादी के वाद को प्रारम्भिक रूप से डिक्री कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 53 (5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

के अनुसार "एक से अधिक भूमि–क्षेत्र के बंटवारे के लिए एक ही दावा दिया जा सकता है। बशर्ते उसमें पक्षकार वे ही हों।" विभाजन हेतु वाद के लिए धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है तथा कृषि भूमि का विभाजन केवल धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार ही किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में भी धारा 53 (5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लेख किया है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना आदेश पारित करते हुए अंकन किया कि दावा किस विधि से वर्जित है। इसलिए आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। वाद में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौके पर सब कृषकगण ने आपसी सहमति से भूमि अपने हक व हिस्सेनुसार बांट रखी है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण का कोई पक्षकार वाद में अंकित तथ्यों का खण्डन करता है जो विधि अनुसार तनकी बनाने के पश्चात तथा साक्ष्य लेने के उपरान्त ही वाद का निर्णय किया जा सकता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की अवज्ञा कर आलोच्य निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अन्य प्रतिवादियों की तामील पूर्ण हुए उक्त निर्णय पारित कर दिया जबकि विधि अनुसार बिना सुनवाई का अवसर दिये किसी भी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय शून्य व निष्प्रभावी माना जाता है ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों को प्राप्त सुनवाई के अधिकारों की अवहेलना कर उक्त निर्णय पारित किया है जो कि अधीनस्थ न्यायालय की अतिशीघ्रता दर्शाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश के आधारों का कथन निर्णय में नहीं किया है ना ही साक्ष्य एवं अभिवचनों की पूर्ण व्याख्या की है, जो कि अभिवचनों के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।अपीलान्टस द्वारा अनुतोष चाहा गया कि अपील अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेंट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2017 अपास्त किया जाकर रेस्पोडेंट संख्या एक/वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटस को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई ।

5– अधिवक्ता अपीलान्टस द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि वादी रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि में से 708/6690 हिस्सा क्रय किया गया तथा बंटवारे का दावा किया गया है।वादग्रस्त भूमि के कुछ खसरा नम्बर की भूमि में प्रतिवादी सख्या 4 खातेदार नही होने से विभाजन का वाद चलने योग्य नही है।प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा दावे की अस्वीकृति करते हुए जवाब दावा दिया गया था इसलिये तनकी बनाई जाकर निर्णय किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया है। वादी द्वारा एक ही खसरा सख्या 21/1 में हिस्सा चाहा गया है जो कि नहीं दिया जा सकता है। प्रकरण में कुछ प्रतिवादीगण की तामील नहीं हुई है फिर भी प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है। अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा उक्त कथन कर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस सख्या 1 द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया कि स्वयं अपीलान्टस द्वारा भी विभाजन का अन्य दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमें भी प्रारम्भिक डिक्री जारी हुई है। उक्त डिक्री के बारे में अपीलान्टस के द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। प्रकरण में धारा 53 (5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है।वादग्रस्त भूमि के खातेदारी में हिस्से संबंधी कोई विवाद नही है इसलिये तनकी एवं साक्ष्य की कोई आवश्यकता नही है। अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील मात्र प्रकरण को लम्बित रखने के उद्देश्य से की गई है जो खारिज किये जाने योग्य

है। अधिवक्ता रेस्पो0 सख्या 2 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है तथा कब्जा काश्त हेतु नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है जिसपर किसी ने आपत्ति नहीं की गई है तथा उसी अनुसार ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट चाही गई है जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलान्टस के अलावा अन्य सभी खातेदार अपीलाधीन निर्णय से सहमत है। प्रकरण में तकी बनाने की कोई आवश्यकता नही थी इसलिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नही की गई है तथा अपील खारिज की जावे।

7– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायलाय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।अपीलानधीन निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण द्वारा मुख्य रूप से आधार लिये गये है कि प्रकरण धारा 53 (5) के अन्तर्गत बाधित होने, अपीलान्टस को जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने, प्रकरण में तनकी कायम नहीं किये जाने तथा तामील पूर्ण नहीं किये जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य हैं। उक्त आधारों का परीक्षण करने हेतु अधिनस्थ न्यायलाय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जहॉ तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(5) के तहत प्रस्तुत वाद विधि वर्जित होने का प्रश्न है, वादग्रस्त भूमि जमाबंदी के अनुसार एक ही खाता सख्या 2 में स्थित है।अपीलान्टस द्वारा कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 15 के खातेदार वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 5 है तथा शेष खसरा के खातेदार वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 3 व 5 है इसलिये विभाजन का वाद चलने योग्य नही है। उक्त कथन सत्य नही है क्योंकि वादग्रस्त भूमि का मूल खाता एक ही है तथा वर्णित सभी खसरा नम्बरान की भूमि उक्त खाते का भाग है तथा संयुक्त खातेदारी की है। धारा 53 (5) के प्रावधान विभिन्न खातों में स्थित भूमि के संबंध में लागू होते है न कि एक ही खाते की जोत में स्थित विभिन्न खसरा की भूमि पर। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत वादी/रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद विधि वर्जित नही है। प्रकरण में प्रतिवादी सख्या 2 व 3 वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना–प़ अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी उपर्युक्त आपत्ति दर्ज कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो कि न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है उक्त आदेश की कोई अपील अपीलान्टस द्वारा नही की है। इस प्रकार अपील में वर्णित यह आपत्ति चलने योग्य नही है।अपीलान्टस द्वारा किया गया यह कथन कि उन्हें जवाब दावे हेतु अवसर प्रदान नहीं किया गया है अनुचित है क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 दिनांक 8–6–2017 को खारिज किये जाने के उपरान्त समुचित अवसर जवाब प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध था परन्तु उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।प्रकरण में प्रतिवादी सख्या 1 बाबू लाल द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है तथा जवाब में बाहमी बंटवारे अनुसार तथा संलग्न नजरी नक्शे अनुसार तकासमा किये जाने की प्रार्थना की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में भी इसी आशय का अनुतोष चाहा गया है अतः प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने हेतु तनकी बनाया जाना तथा साक्ष्य लिये जाना आवश्यक नही था। यहॉ यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि प्रतिवादी सख्या 1 जिनके द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है वे हस्तगत अपील में रेस्पोडेन्ट सख्या 2 है तथा इन्होने अपीलाधीन निर्णय से सहमति व्यक्त की है अतः अपीलान्टस की तनकी नहीं बनाये जाने बाबत ली गई आपत्ति स्वीकार योग्य नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री में वादग्रस्त भूमि का विभाजन मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर प्रस्तावित किये जाने का निर्देश दिया गया है जिसमें कोई विधिक त्रृटि नहीं है तथा पक्षकारान के पास विभाजन प्रस्तावों पर आपतित प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर उपलब्ध है अतःप्रकरण में जारी की गई प्रारम्भिक डिक्री को रोका जाना मात्र विभाजन को विलम्बित किये जाने के समकक्ष होगा जो कि उचित नही है। अपीलान्टस के अलावा

अन्य पक्षकारों द्वारा कोई आपत्ति अपीलाधीन निर्णय के बाबत नहीं की गई है। इस प्रकार अपीलान्टस द्वारा अपील में वर्णित आपत्तियों में कोई विधिक बल निहित नही होने से वे स्वीकार योग्य नही है तथा अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8—अतःअपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 25—07—2017 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9— निर्णय आज दिनांक 19—01—2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर